



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 154-2024/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, OCTOBER 9, 2024 (ASVINA 17, 1946 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 09 अक्टूबर, 2024

**संख्या 28/जीएसटी-2.**— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) के अधीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

### संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में,—

(क) अनुसूची 1— 2.5% में, सूची 1 में, मद संख्या 232 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद संख्याएं तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(233) ट्रेस्टुजुमैब डेरक्सटेकन

(234) ओसिमैरटिनिब

(235) डुरवालुमैब";

(ख) अनुसूची II—6% में, क्रम संख्या 32ख और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"32ग	1905 90 30	निकाले गए या विस्तारित उत्पाद, सेवरी या नमकीन (बिना तले या बिना पके स्नैक पेलेट्स के अलावा, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों, एक्सट्रूज़न की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित)";
------	---------------	---

(ग) अनुसूची III—9% में, —

(i) क्रम संख्या 16 के सामने, खाना (3) के नीचे, "एक्सट्रूज़न की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना पके स्नैक पेलेट्स, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों" शब्दों के स्थान पर, "बिना तले या बिना पके स्नैक पेलेट्स, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों, एक्सट्रूज़न की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित, एक्सट्रूडेड या विस्तारित उत्पाद, सेवरी या नमकीन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) क्रम संख्या 435क और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"435क	9401 [9401 10 00 या 9401 20 00 के अलावा]	सीटें (शीर्ष 9402 के अलावा), चाहे वे बिस्तरों और उनके भागों में परिवर्तनीय हों या नहीं, विमान में उपयोग की जाने वाली सीटों या मोटर वाहनों के लिए उपयोग की जाने वाली सीटों के अलावा";
-------	--	--

- (घ) अनुसूची IV- 14% में, क्रम संख्या 210 और उसके सामने, प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"210क	9401 20 00	मोटर वाहनों के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की सीटें।"
-------	------------	--

2. यह अधिसूचना 10 अक्टूबर, 2024 को लागू होगी।

देविंदर सिंह कल्याण,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**

**Notification**

The 9th October, 2024

**No. 28/GST-2.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 35/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

**AMENDMENT**

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 35/ST-2, dated the 30th June, 2017,-

- (a) in Schedule I- 2.5%, in List 1, after item 232 and existing entries thereagainst, the following items and entries thereagainst shall be inserted, namely: -  
“(233) Trastuzumab Deruxtecan  
(234) Osimertinib  
(235) Durvalumab”;
- (b) in Schedule II-6%, after serial number 32B and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

“32C	1905 90 30	Extruded or expanded products, savoury or salted (other than un-fried or un-cooked snack pellets, by whatever name called, manufactured through process of extrusion)”;
------	---------------	---

- (c) in Schedule III-9%, -  
(i) against serial number 16, under column (3), for the words “un-fried or un-cooked snack pellets, by whatever name called, manufactured through process of extrusion”, the words “ un-fried or un-cooked snack pellets, by whatever namecalled, manufactured through process of extrusion, extruded or expanded products, savoury or salted” shall be substituted;  
(ii) for serial number 435A and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely: -

“435A	9401 [other than 9401 10 00 or 9401 20 00]	Seats (other than those of heading 9402), whether or not convertible into beds and parts thereof other than seats of a kind used in aircraft or seats of a kind used for motor vehicles”;
-------	---	---

- (d) in Schedule IV-14%, after serial number 210 and the existing entries thereagainst, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“210A	9401 20 00	Seats of a kind used for motor vehicles”.
-------	------------	---

2. This notification shall come into force on the 10th October, 2024.

DEVINDER SINGH KALYAN,  
Principal Secretary to Government Haryana,  
Excise and Taxation Department.